मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

126वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 10–06–2024

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 126वीं बैठक दिनांक 10–06–2024 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 126वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 10–06–2024 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री अभिषेक पाण्डेय,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती नूपुर गोयल,	मुख्य विकास अधिकारी, कार्यवाहक जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री अमित पाल शर्मा,	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
4.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री दीपेन्द्र कुमार,	उपायुक्त, उद्योग, प्रतिनिधि अपर निदेशक उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री नीलेश सिंह कटियार,	नगर नियोजक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक) ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
7.	श्री एस0सी0 गौड,	चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 गाजियाबाद।	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र बहादुर यादव,	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य

9.	श्री राजीव कुमार,	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य
10.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	सदस्य
11.	श्रीमती वर्षा कौशिक	शासन द्वारा नामित सदस्य, के–03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य
12.	श्री आनन्द कुमार सिंह	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक / सदस्य

कोरम पूर्ण है। अतएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

125वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12–01–2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि –

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 12–01–2024 को सम्पन्न 125वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2023 में प्रस्तुत प्रस्तांव का अनुपालन–

क्र0 सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
11.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाटन्स् को नगर निगम, मेरठ को	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित 13 नग सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् पर पायी गयी कमियों के आवश्यक सुधारात्मक / मानकानुसार कार्यो को सम्पादित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में एक समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा मेरठ	मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि समस्त 13 एस0टी0पी0 के उच्चीकरण हेतु कार्य परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं (वि0 / यॉ0

	हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित 13 नग सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् पर पायी गयी कमियों के आवश्यक सुधारात्मक/मानकानुसार कार्यो को सम्पादित कराये जाने हेतु कार्य दायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं (वि0/यॉ0 विंग) उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय), एस0जे0–10, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद को नामित किया गया है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जल निगम द्वारा समिति से हस्ताक्षरित डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी। **उक्त के क्रम में दिनांक 08.03.2024 को कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति धनांक रू0 3615.52 लाख जिसमें 02 नग एस0टी0पी (सैनिक विहार एवं पांडवनगर) पर क्लोरिनेशन प्रणाली अधिष्ठापन का कार्य दिनांक 31.07. 2024 तक, 13 नग एस0टी0पी0 के विविध मरम्मत का कार्य एवं 13 नग एस0टी0पी0 पर ओ0सी0ई0एम0एस0 प्रणाली अधिष्ठापन का कार्य दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण कराने हेतु कार्य दायी संस्था को कार्य आदेश पत्र प्रेषित किया गया है।**	विंग) उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय), एस0जे0–10, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद को आवंटित किया जा चुका है एवं संस्था द्वारा स्थल पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है। उपरोक्त कार्य दिनांक 31.12. 2024 तक पूर्ण कराये जाने है। मा0 बोर्ड द्वारा समस्त कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्व कराये जाने के निर्देष दिये गये। इसके अतिरिक्त मा0 बोर्ड द्वारा शहर में सीवरेज प्रबन्धन प्रणाली को मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इससे ना केवल शहर में सीवरेज ओवर फ्लो की समस्या से स्थाई रूप से मुक्ति मिलेगी, बल्कि समस्त एस0टी0पी0 को पूर्ण क्षमता पर संचालित करने में मदद मिलेगी। मा0 बोर्ड द्वारा मेरठ

–		–	विकास प्राधिकरण को वाह्य विकास निधि अन्तर्गत Comprehensive sewerage system development plan तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये। मा0 बोर्ड द्वारा आगामी 15 दिवस के भीतर यह कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये।
13.	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अर्द्धनिर्मित भवनों को यथा स्थिति में बल्क सैल के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि "**प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने से पूर्व शासन का मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये**" जिसके अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा शासन को पत्र संख्या 3947/कार्या0उपा0/2023 दिनांक 07–08–2023 को प्रेषित किया गया। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 के पत्रांक File No 8-7099/31/2023-7- दिनांक 18 जनवरी–2024 द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से स्वस्तर से निर्णय लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्राधिकरण की 125वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत **शताब्दीनगर योजना में अर्धनिर्मित भवनों को यथास्थिति**	मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त भवनों के ई–ऑक्षन से पूर्व प्री–बिड बैठक दिनांक 12.06.2024 को की जानी है एवं प्री–बिड बैठक उपरान्त इसी माह इन सम्पत्तियों की ई–ऑक्षन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेंगी।

		अन्तिम करते हुए भवनों को बल्क ऑक्शन हेतु भवनों का राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन कराने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर दिनांक 01–03–2024 को कुटेशन आमन्त्रित किये गये हैं। सर्वनिम्न कुटेशनदाता मैं0 लैण्डमार्क डिजाईन की कुटेशन दिनांक 07–03–2024 को स्वीकृति उपरान्त उनके द्वारा उक्त भवनों का मूल्यांकन किया गया। फर्म द्वारा मूल्यांकन दिनांक 22–05–2024 को उपलब्ध कराया गया है, जिस पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 06–06–2024 के समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 12–06–2024 को प्री–बिड आमन्त्रित की गयी है।	
14.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित "निर्माण निषिद्ध क्षेत्र" में पडने वाले 254 आवंटियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में, हवाई पट्टी से प्रभावित प्रश्नगत 53 आवंटियों हेतु Land monetization योजना अन्तर्गत भूखण्ड नियोजित किये जा चुके है। Land monetization की प्रक्रिया सम्पादित होने के उपरान्त e-Lottery के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।	मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि समस्त 53 आवंटियों हेतु भूखण्डों के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं लैण्ड मोनिटाईजेषन की प्रकिया पूर्ण रूपेण सम्पादित होने के उपरान्त ई–लॉटरी के माध्यम से इन सम्पत्तियों का आवंटन किया जायेगा। मा0 बोर्ड द्वारा यह कार्य दिनांक 20.07.2024

			तक पूर्ण करने के निर्देष दिये गये।

<table>
<tr><td colspan="4">दिनांक 20–11–2021 को सम्पन्न 118वीं बोर्ड बैठक एवं दिनांक 23–02–2023 को सम्पन्न 122वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन –</td></tr>
<tr>
<td>13 व 04</td>
<td>मेरठ विकास प्राधिकरण में जेम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिगं पर 02 मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), 01 लेखपाल, 01 लेखाकार, 01 विधि अधिकारी एवं 01 प्लानिंग असिस्टेन्ट कार्य पर रखे जाने एवं सेवानिवृत्त/स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर प्राधिकरण से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>
<table>
<tr><td>क्र0 सं0</td><td colspan="2">अनुमोदित पद</td><td>पद के सापेक्ष नियुक्ति</td><td>अतिरिक्त पद की आवश्यकता</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>वित्त एवं लेखाधिकारी</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सहायक अभियन्ता (सिविल)</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अवर अभियन्ता (सिविल)</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अवर अभियन्ता (विद्युत)</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मानचित्रकार</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td>मा0 बोर्ड द्वारा पूर्व में आउटसोर्सिंग के आधार पर की गयी नियुक्तियों को अनुमोदित किया गया। अतिरिक्त आवश्यकताओं हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से नियुक्त करने के निर्देश दिये गये।</td>
</tr>
</table>

6.	अर्बन प्लानर	1	1	0
7.	लेखपाल	1	1	1
8.	कम्प्यूटर टाईपिस्ट	29	34	5
9.	लेखाकार	1	1	0
10.	सहायक लेखाकार	2	1	0
11.	लिपिक	2	2	0
12.	सुरक्षागार्ड	6	6	0
13.	प्लानिंग असिस्टेंट	1	0	0
14.	विधि सलाहकार	1	0	0
15.	अर्बन डिजाइनर	1	0	0
16.	ट्रान्सपोर्ट प्लानर	1	0	0
	योग	49	44	17

क्रमांक 08 पर अंकित कम्प्युटर टाईपिस्ट के 29 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 34 कम्प्युटर टाईपिस्ट कार्यरत् है। वर्तमान में न्युटाउनशिप के कार्यो को देखते हुए 05 अतिरिक्त कम्प्युटर टाईपिस्ट की आवश्यकता है जिसे कॉलम 05 में दर्शाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त टेबल के कॉलम 05

		के अनुसार कुल 17 विभिन्न पदों हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	

124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन –			
मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
3.	प्राधिकरण से विकासकर्ताओ द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर हस्तान्तरित हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नही है कालोनियां स्वतः ही नगर	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में नगर निगम, मेरठ को निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित कालोनियां के हस्तान्तरण का विवरण निम्नवत है:– 1. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त 32 कालोनियां हस्तान्तरित कर दी गयी है तथा इस आशय का दिनांक 05.06.2024 को सूची सहित नगर निगम, मेरठ को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। 2. उपरोक्त के अतिरिक्त आर.डब्ल्यू.ए. के शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 13.03.2024 को कुल 24 कालोनी हस्तान्तरित की गयी। 3. इस प्रकार वर्तमान में कुल 56 कालोनियां हस्तान्तरित की जा चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त कालोनी हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 18.05.2024 को दो दैनिक समाचार	मा0 बोर्ड द्वारा प्रष्नगत प्रकरण में नगर निगम को पूर्व में हस्तांतरित कालोनियों के सापेक्ष Economic Viability Plan प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। Economic Viability Plan के माध्यम से नगर निगम भविष्य में इन कालोनियों के अनुरक्षण पर आने वाले व्यय के वित्त पोषण हेतु राजस्व के स्रोतों का चिन्हांकन कर सकेगा जिससे कि भविष्य में अन्य कालोनियों के हस्तान्तरण उपरान्त भी नगर निगम को

	निगम, मेरठ को हस्तान्तरित हो जाने के सम्बन्ध में।	पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। माह जून के अन्त तक आर.डब्ल्यू.ए. से शपथ पत्र प्राप्त कर लगभग 50 कालोनियां हस्तान्तरण किये जाने का लक्ष्य है।	अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना नहीं करना पड़ेगा।
125वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12–01–2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन –			
1.	मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र विकास हेतु जिला व तहसील मेरठ में स्थित ग्राम छजमलपुर उर्फ छज्जूपुर, इकला, दौललपुर फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवड़ी एवं ग्राम मोहिउद्दीनपुर की भूमि कृषकों से आपसी बातचीत के माध्यम से क्रय करने हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा हैं। कृषकों से भूमि क्रय किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि क्रय किया जाना आरम्भ कर दिया गया है। ग्राम महीउद्दीनपुर के 05 विक्रय पत्र निष्पादित हो चुके हैं। उपरोक्त विक्रय पत्रों में 1.1939 हैक्टेअर भूमि निहित है तथा उक्त भूमि क्रय करने पर अंकन धनराशि रूपये 11,75,38,605/- व्यय आया है। वर्तमान में कृषकों से आपसी सहमति से भूमि क्रय किये जाने हेतु ग्राम महीउद्दीनपुर व कायस्थ गांवडी की 95.5709 हैक्टेअर भूमि के सापेक्ष हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्ति प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित है।	मा0 बोर्ड द्वारा भूमि खरीद की प्रगति का अवलोकन किया गया एवं निर्देषित किया गया कि आगामी 1–2 माह के भीतर कुल परियोजना के सापेक्ष न्यूनतम् 50 प्रतिषत भूमि (अनुमानित क्षेत्रफल 150 हेक्टेअर) की खरीद त्वरित गति से सम्पन्न करायी जाये।
3.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में कतियपय व्यक्तियों के पक्ष में	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में, प्राधिकरण की योजनाओं में कतियपय व्यक्तियों के पक्ष में भूखण्ड/भवन/फ्लैट/विलॉज आदि का किन्ही त्रुटिवश एक से	मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि समस्त 14 आवंटियों हेतु भूखण्डों के चिन्हांकन का

	भूखण्ड / भवन / फ्लैट / विलॉज आदि का एक से अधिक बार आवंटन होना पाया जाना तथा योजना की अनुपयोगी भूमि यथा कब्रिस्तान, बिजलीघर आदि की भूमि पर भूखण्ड आवंटित होने के सम्बन्ध में।	अधिक बार आवंटन हो जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत प्रभावित भूखण्डों के आवंटियों हेतु Land monetization योजना अन्तर्गत भूखण्ड नियोजित किये जा चुके है। Land monetization की प्रक्रिया सम्पादित होने के उपरान्त e-Lottery के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। इस हेतु गंगानगर आवासीय योजना में कुल 03 प्रकरण, लोहियानगर आवासीय योजना में 07 प्रकरण तथा शताब्दीनगर आवासीय योजना में कुल 04 प्रकरण अर्थात् कुल 14 प्रकरणों में भूखण्ड नियोजन के पश्चात् आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।	कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं लैण्ड मोनिटाईजेषन की प्रकिया पूर्ण रूपेण सम्पादित होने के उपरान्त ई–लॉटरी के माध्यम से इन सम्पत्तियों का आवंटन किया जायेगा। मा0 बोर्ड द्वारा यह कार्य दिनांक 20–07–2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
4	मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में प्रयोजन हेतु ग्रीन वर्ज, पार्क, आवासीय, व्यवसायिक, सड़क तथा मानको के अनुरूप सुविधाओं को छोडते हुए शेष निष्क्रिय पडी भूमि को नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के प्रतिनिधि तथा नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा श्री नीलेश सिंह कटियार, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को अपना प्रतिनिधि नामित किया गया। उक्त समिति की बैठक दिनांक 01.05.2024 को सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार लैण्ड मोनेटाईजेशन के अर्न्तगत सम्पत्तियों का पुर्ननियोजन	मा0 बोर्ड के समक्ष लैण्ड मोनिटाईजेषन योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण की कुल 09 आवासीय योजनाओं में चिन्हित 1455 नवीन भूखण्डों के विषय में सारगर्भित विवरण प्रस्तुत किया गया। मा0 बोर्ड द्वारा कार्य की प्रगति अवलोकित की गयी एवं जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों के सम्यक निस्तारण उपरान्त लैण्ड मोनिटाईजेषन योजना से

		करते हुए पार्ट ले–आउट प्लान तैयार किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–	आच्छादित समस्त ले–आउट अन्तिम स्वीकृति हेतु बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये।

क्र0 सं0	योजना का नाम	मोनेटाईजेशन हेतु कुल सर्वे के अनुसार कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	नव सृजित भूखण्डों का प्रकृति/विवरण											भूखण्डों के सृजन से प्राप्त होने वाला अनुमानित राजस्व (रू0 करोड़ में)
			HIG	MIG	LIG	EWS	Comm.	Off./Resi	School	N.H.	C.C.	F.B.S.	Exc. Ch. Sr.	
1	गंगा नगर	73606.93	134	35	51	-	30	-	01	05	03	02	-	575.60 करोड
2	[illegible] नगर	43532.16	03	10	64	-	05	57	04	02	-	-	01	
3	वेदव्यासपुरी	15048.34	17	-	-	-	12	-	02	-	02	-	-	
4	सैनिक विहार	20064.65	-	21	83	12	43	-	-	-	-	-	-	
5	श्रद्धापुरी	5982.69	06	04	-	-	10	-	-	01	-	-	01	
6	पल्लवपुरम	4150.26	-	14	28	10	-	-	-	-	-	-	-	
7	[illegible] नगर	13502.14	-	05	115	21	-	-	-	-	-	-	-	
8	मेजर ध्यान चन्द नगर	4539.04	-	21	-	-	07	-	-	-	-	-	-	
9	शताब्दी नगर	85591.94	111	254	113	-	06	-	01	01	02	-	-	
			271	426	310	43	113	57	08	11	07	02	02	
	कुल योग	265574.74	1455											

		तत्क्रम में शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3–98–60 एल.यू.सी/96 दिनांक 13–10–1998 में निर्धारित व्यवस्थानुसार तलपट मानचित्र मे संशोधन के सम्बन्ध में जनसामान्य से 30 दिवस की अवधि के लिए आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन लोक महत्व के 03 दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 06.06.2024 को कराया जा चुका है। जनसामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण उपरान्त अन्तिम	

		स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।	

5.	लोहियानगर आवासीय योजना में निर्मित/ अर्धनिर्मित(एल.आई.जी. व ई. डब्लू.एस.) भवनों के अनुबन्धों को यथास्थिति अन्तिम करते हुए बल्क में विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	लोहियानगर आवासीय योजना में निर्मित/अर्धनिर्मित (एल0आई0जी0 व ई0डब्लू0एस0) भवनों के अनुबन्धों को यथास्थिति अन्तिम करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 21–02–2024 के क्रम में लोहियानगर योजना एवं शताब्दीनगर योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत अर्धनिर्मित भवनों का मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ता से कराये जाने हेतु दिनांक 01–03–2024 को कुटेशन आमन्त्रित किये गये थे। सर्वनिम्न कुटेशनदाता मैं0 लैण्डमार्क डिजाईन की कुटेशन दिनांक 07–03–2024 को स्वीकृति उपरान्त उनके द्वारा उक्त भवनों का मूल्यांकन किया गया। जिनका मूल्यांकन दिनांक 22–05–2024 को उपलब्ध कराया गया है। उक्त न्यूनतम कुटेशनदाता मैं0 लैंण्डमार्क डिजाईन से लोहियानगर योजना के पाकेट सी.पी. में 384 एल.आई. जी. भवन एवं ई.डब्लू.एस. 192 भवनों के मूल्यांकन की कार्यवाही की जा रही है। फर्म द्वारा दिनांक 15–06–2024 तक आख्या प्रस्तुत की जानी है।	मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त भवनों के ई–ऑक्षन से पूर्व प्री–बिड बैठक दिनांक 12.06.2024 को की जानी है एवं प्री–बिड बैठक उपरान्त इसी माह इन सम्पत्तियों की ई–ऑक्षन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेंगी।
6.	कंकरखेड़ा शिव चौक तिराहा के, ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु, पुर्नविकास कराये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव।	कंकरखेड़ा शिव चौक तिराहा के ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु तिराहे के पुर्नविकास कराये जाने हेतु रू0 40.00 लाख की अवस्थापना निधि मद से स्वीकृति प्राप्त की गयी। कार्य हेतु ई–निविदाऐं आमन्त्रित की गयी। सर्वनिम्न निविदादाता मैं0 कृष्णा इन्फ्रा0 की	मा0 बोर्ड द्वारा प्रगति का अवलोकन किया गया तथा समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक कार्य पूर्ण कराने के निर्देष दिये गये।

	–	निविदा पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 12–03–2024 को स्वीकृत प्रदान की गयी हैं। कार्य प्रारम्भ कराया गया प्रन्तु 33 के.वी.ए. की लाईन/पोल होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। लाईन की शिफ्टिंग हेतु प्राधिकरण द्वारा यू.पी.पी.सी.एल. को वॉछित धनराशि भी जमा करा दी गयी है। इसके अतिरिक्त एक ट्रान्सफार्मर की शिफ्टिंग भी आवश्यक है, जिस हेतु यू.पी.पी.सी.एल. से अनुरोध किया गया है।	–
7.	ग्राम सलारपुर जलालपुर, मेरठ के खसरा संख्या–574/1 क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी0 भूमि पर पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णयानुसार ग्राम सलारपुर जलालपुर, मेरठ के खसरा संख्या–574/1 क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी0 भूमि पर पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट का मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
8.	मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी शुल्कों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड निर्णयानुसार प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी शुल्कों को लागू कर दिया गया है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

10.	प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना में खसरा संख्या–1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 व 1016 ग्राम घाट मेरठ की भूमि को क्रय/अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में वेद व्यासपुरी योजना में स्थित 68.00 मीटर चौड़े मार्ग को मेरठ दिल्ली मुख्य मार्ग से जोडने हेतु मार्ग में पड़ने वाली राजस्व ग्राम पूठा एवं घाट के मध्य की सीमा का निर्धारण एवं मार्ग में जो भी खसरा नम्बर पड़ते है, की पैमाईश तहसील स्तर से करायी गयी। तहसील द्वारा पैमाईश की जा चुकी है। उक्त पैमाईश रिपोर्ट तहसील से प्राप्त होनी अपेक्षित है। तहसील रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।	मा0 बोर्ड द्वारा सम्बन्धित तहसील से भूमि चिन्हांकन आख्या तत्काल प्राप्त करने एवं सम्यक निस्तारण इसी माह किये जाने हेतु निर्देषित किया गया।
11.	वैशाली कालोनी के निरस्त तलपट मानचित्र संख्या–138 व मित्र लोक कालोनी के निरस्त तलपट मानचित्र संख्या–502/96 को पुनर्जीवित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णयानुसार शासकीय विभागों की भूमि के सम्बन्ध में राय/सहमति/अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को पत्र प्रेषित कर दिये गये है।	मा0बोर्ड द्वारा दोनों प्रकरणों में सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर Joint Field Survey-अन्तिम अभिमत प्राप्त करने के निर्देष दिये गये एवं प्रकरण का सम्यंक निस्तारण इसी माह किये जाने हेतु निर्देषित किया गया।
12.	दिल्ली रोड (शताब्दीनगर) से दिल्ली मेरठ रेलवे लाईन (आयल डिपो) वेदव्यासपुरी योजना की 68 मी0 चौडे मार्ग तक ईनर रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड को मेरठ शहर में ट्रेफिक की बढ़ती समस्या के निदान हेतु रिंग रोड की नितान्त आवश्यकता के विषय में अवगत कराया गया। 1– प्रस्तावित इनर रिंग रोड की कुल लम्बाई लगभग 34.19 कि0मी0 है।	गहन चर्चा उपरांत मा0 बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार चिन्हित दोनों Priority सेक्शन में 45 मी0 चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लोक निर्माण

		• मेरठ बाईपास से लगी हुई प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना में 2.4 कि0मी0 भाग निर्मित है। • **वेदव्यासपुरी योजना के पश्चात् रेलवे लाईन से दिल्ली रोड तक 1.2 कि0मी0 मार्ग महायोजना मार्ग नहीं है तथा मौके पर निर्मित भी नहीं है।** • दिल्ली रोड से शताब्दी नगर योजना की सीमा तक 2.4 कि0मी0 भाग में रोड निर्मित है। • **शताब्दी नगर सीमा से हापुड रोड तक 4.5 कि0मी0 भाग निर्मित नहीं है।** • हापुड रोड से लोहिया नगर की सीमा (नाले तक) 1.96 कि0मी0 भाग में से लगभग 80.00 मी0 भाग विवादित होने के कारण अर्द्धनिर्मित है तथा इसके अतिरिक्त इससे लगी हुयी लगभग 250.00 मी0 की लम्बाई में एक पटरी को जल निगम द्वारा सीवर लाईन डालने के समय क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। • लोहिया नगर की सीमा से गढ रोड तक 2.2 कि0मी0 का भाग आवास विकास परिषद् की योजना में है। • गढ रोड से परीक्षितगढ रोड तक 4.95 कि0मी0 की लम्बाई में सडक निर्मित नहीं है। • परीक्षितगढ रोड़ से बिजनौर रोड़ तक 4.15 कि0मी0 की लम्बाई में सड़क निर्मित नहीं है।	विभाग द्वारा स्वयं के संसाधनों से किये जाने एवं दोनों Priority सेक्शन में 20 मी0 पथ निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि प्राधिकरण की वाह्य विकास निधि से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मा0 बोर्ड द्वारा उपरोक्त कार्य–योजना अनुसार लोक निर्माण विभाग से आवश्यक पत्राचार हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

आर

		• बिजनौर रोड़ से रूडकी रोड तक 10.43 कि0मी0 की लम्बाई में सड़क निर्मित नहीं है। 2— पूर्व में प्राधिकरण की 93वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2010 के अनुपूरक मद संख्या—3 में मेरठ महायोजना 2021 में प्रस्तावित रिंग रोड एवं शताब्दी नगर से हापुड़ रोड को जोड़ने के लिये 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग के निर्माण के लिये भूमि अर्जन की स्वीकृति हेतु मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे मा0 बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया। 3— वर्ष 2011 में प्रमाण—पत्र पत्रांक—1797 / उपा0—कार्या0 / 2011 दिनांक 18.04. 2011 के माध्यम से उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इस विषयक प्रमाण पत्र रेल विभाग एवं सेतु निगम को प्रेषित किया गया कि "महायोजना मार्ग (इनर रिंग रोड) से आर.ओ.बी. के दोनों तरफ लिंक मार्गों से लिंक किये जाने का समस्त कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा अपने व्यय से कराया जायेगा।" 4— कालांतर में मेवला कासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण रेलवे विभाग द्वारा कराया गया एवं अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—159(1) / 23—11—2011—3 / 2(18) / 2011 दिनांक 10.10.2011 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011—12 में जनपद मेरठ में मेरठ—हापुड़ रेल सेक्शन के सम्पार सं0—52 जुर्रानपुर कासिंग (बिजली बम्बा बाईपास)	

		कि0मी0–85 / 5–6 के स्थान पर 02 लेन उपरिगामी सेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। 5– इसके उपरांत वर्ष 2012 से लगायत वर्ष 2016 तक लगातार कृषकों से वार्ता कर सहमति के आधार पर भूमि अर्जन का प्रयास किया गया। कृषकों द्वारा प्रत्येक अवसर पर नये भूमि अर्जन अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार इनर रिंग रोड में प्रयोग होने वाली भूमि को ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट से चार गुना एवं शहरी सर्किल रेट से दो गुना दर पर भू–मूल्य दिये जाने की मांग की गयी है। 6– समय–समय पर लोक निर्माण विभाग द्वारा इनर रिंग रोड के निर्माण हेतु प्राधिकरण से भूमि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध न होने की दशा में पूर्व में स्वीकृत सेतु निर्माण का प्रस्ताव रद्द करने के आशय से पत्राचार भी प्राधिकरण से किया जा रहा है। 7– नये भूमि अधिग्रहण कानून–2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि खरीद के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन न होने के कारण आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा पूर्व में सम्बन्धित कृषकों से अपेक्षित भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा सीधे क्रय किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में आयुक्त महोदया द्वारा लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से रिंग रोड पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु पत्राचार भी किया गया है।	

		8— आज दिनांक तक मेरठ विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण भूमि अधिग्रहण न होने की दशा में रिंग रोड का निर्माण सम्भव नहीं हो सका है, जिससे कि मेरठ शहर पर यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में यदि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं के संसाधनों से की जाये एवं पथ निर्माण की धनराशि प्राधिकरण की वाह्य विकास निधि से लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी जाये, तो दोनों विभागों के सामंजस्य से रिंग रोड का निर्माण0 कार्य सम्भव हो सकेगा। मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि रिंग रोड निर्माण हेतु प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी एवं शताब्दी नगर योजनाओं के मध्य स्थिंत लगभग 1.2 किमी0 के सेक्शन एवं शताब्दी नगर से लोहिया नगर के मध्य (वाया—मेवला कासिंग) स्थित 4.50 किमी0 के सेक्शन पर Priority सेक्शन के रूप में चिहिन्त किया जा सकता है। 9— उपरोक्त दोनों Priority सेक्शन में 45 मी0 भूमि अधिग्रहण यदि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जाता है एवं 20 मी0 पथ निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जाती है, तो एक ओर मेरठ शहर में यातायात का दबाव घटेगा, वहीं सड़क निर्माण से 1.2 कि.मी. सेक्शन में औद्योगिक ले—आउट	

		स्वीकृत किये जाने से प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी एवं शहर का औद्योगिक विकास भी होगा।	
13.	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत मेरठ नगर क्षेत्र में स्थित 25 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प हेतु प्रस्ताव।	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत मेरठ नगर क्षेत्र में स्थित 25 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प हेतु ई–निविदाऐं आमन्त्रित की गयी। न्यूनतम् निविदादाता मैं0 मुकेश कन्सं0 की निविदा पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 12–03–2024 को स्वीकृत प्रदान की गयी हैं। अभी तक 06 विद्यालयों में कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अवशेष विद्यालयों में कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
14.	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत मेरठ शहर में चयनित स्थानों पर यात्री शैल्टर निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव।	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत मेरठ शहर में चयनित स्थानों पर यात्री शैल्टर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ई–निविदाऐं आमन्त्रित की गयी, परन्तु मात्र 02 निविदा होने के कारण पुनः ई–निविदाऐं आमन्त्रित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के बिन्दु संख्या–03 के क्रम में लैण्ड मोनेटाईजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत श्रद्धापुरी योजना में स्थित भूमि का ई0वी0 चार्जिंग हेतु पुर्ननियोजन करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दिनांक 06.06.2024 को दैनिक समाचार पत्रों में कराया	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

		जा चुका है। आपत्ति/सुझावों के निस्तारण उपरान्त अन्तिम अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।	
15.	मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना में मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 को आवंटित आवासीय बल्क भूमि के सापेक्ष आडिट आपत्ति के क्रम में 10 प्रतिशत सरचार्ज की देयता वसूल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी–कम्पनी को बोर्ड के निर्णय से अवगत कराते हुए पत्र सं0 3758/व्यवसायिक सम्पत्ति/2023–24 दिनांक 18–03–2024 द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है। आवंटी–कम्पनी द्वारा बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में सेक्टर 4ए के सम्पत्ति क्रेताओं से सरचार्ज के मद में देय धनराशि जमा कराया जाना आरम्भ कर दिया गया है। बिल्डर द्वारा भूखण्डों के निबन्धन की औपचारिकतायें पूर्ण करने पर विक्रय विलेख के निष्पादन की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।	मा0 बोर्ड द्वारा निर्देषित किया गया कि सम्बन्धित विकासकर्ता से तत्काल सम्पर्क कर प्राधिकरण/राजस्व की समस्त देयताओं की नियमानुसार पूर्ति उपरान्त भूमि के विक्रय की कार्यवाही पूर्ण की जाये। चूँकि इस प्रकरण में बड़ी संख्या में आमजन लम्बे समय से प्रभावित हो रहे हैं अतएक बोर्ड द्वारा इस प्रकरण को शीघ्र ही निस्तारण किये जाने के निर्देष दिये गये।
18.	प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पाकेट 'एफ' में नगर निगम, मेरठ द्वारा डाले जा रहे कूडा स्थल के समतुल्य भूमि नगर निगम मेरठ द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अथवा उसके बाहर मेरठ विकास	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में नगर निगम, मेरठ का अद्यतन् कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा जल्द ही एक अन्य स्थल पर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना प्रस्तावित है। मा0

	प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव।		बोर्ड द्वारा नगर निगम से इस विषयक अन्तिम अभिमत प्राप्त करने, हेतु निर्देषित किया गया।
125वीं बोर्ड बैठक में मा0 अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत बिन्दुओं पर पारित निर्णय का अनुपालन–			
()	हस्तिनापुर क्षेत्र में पर्यटन विभाग, वन विभाग आदि का संहयोग लेकर तथा भूमि का सत्यापन परगनाधिकारी मवाना से कराकर इस क्षेत्र को मेरठ विकास प्राधिकरण ईको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म आदि के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाये।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में ~~क्च~~ गठन की कार्यवाही गतिमान है।	मा0 बोर्ड द्वारा डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देष दिये गये।
(इ)	शहरी क्षेत्र में अन्य विभागों की खाली, अनुपयोगी भूमि के सम्बन्ध में एक कार्य–योजना मेरठ विकास प्राधिकरण इस रूप में तैयार करें कि उक्त स्थलों का विकास सम्बन्धित विभाग के साथ, समन्वय करके अच्छे	प्राधिकरण बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर की स्थापना हेतु मण्डल स्तर पर गठित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 25–05–2024 को मण्डलायुक्त महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मण्डल स्तरीय समिति द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 358/आठ–1–2024–05विविध/2020 टी0सी0–02 दिनांक 15 मई, 2024 के बिन्दु सं0 2 में उल्लिखित प्राविधानानुसार एकीकृत मण्डलीय कार्यालय परिसर की	मा0 बोर्ड द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देष दिये गये।

	ढंग से किया जाये ताकि प्रश्नगत भूमि के उपयोग से प्राधिकरण को आर्थिक लाभ हो सके एवं भूमि भी भविष्य में अतिक्रमण से मुक्त रह सके।	स्थापना हेतु कार्यवाही सम्पादित करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा उक्त की सूचना एकत्रित किये जाने हेतु संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ को नोडल अधिकारी के रूप में चयनित किया गया है तथा निर्धारित तालिका पर सूचनायें एकत्रित कर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित है। अतः उपरोक्त समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर मा0 बोर्ड को अवगत कराते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त किये जायेगे।	
(ब)	वन विभाग के साथ सामन्जस्य स्थापित कर संजय वन को सिटि फोरेस्ट के रूप में विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में DPR तैयार करा ली गयी है जो आगामी अवस्थापना निधि की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।	मा0 बोर्ड द्वारा विस्तृत कार्ययोजना अवस्थापना निधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

126वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10—06—2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय—

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	ग्राम पचपेडा किला परीक्षितगढ रोड तहसील व जिला मेरठ के खसरा सं0—258 हाल नं0 व 558/2 कुरा नं0—2 की भूमि क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी0 पर भूमि पर फ्यूल स्टेशन/पेट्रोल पम्प (हिन्दुंस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0) के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

2.	ग्राम रूकनुददीन मिश्री उर्फ फफूंडा, मेरठ के खसरा सं0 502 व 503 की भूमि क्षेत्रफल 1575.00 वर्ग मी0 पर भूमि पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
3.	राजस्व ग्राम भगवानपुर, हापुड रोड, मेरठ के खसरा सं0–112 पर क्षेत्रफल 2016.80 वर्ग मी0, सडक चौडीकरण उपरान्त अवशेष नेट क्षेत्रफल 1728.60 वर्ग मी0 भूमि पर एच.पी.सी.एल. पेट्रोल पम्प की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
4.	वित्तीय वर्ष 2023–24 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	मा0 बोर्ड द्वारा परिचालन पद्धति से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
5.	मेरठ महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा परिचालन पद्धति से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।
6.	ग्राम खरदौनी शेखूपुर, लावड रोड, मेरठ के खसरा संख्या–1371 रकबा 1.1 हेक्ट0 भूमि को कृषि भू–उपयोग से उद्योग भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा भू–उपयोग प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
7.	मेरठ जिले के सरधना तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सलावा तथा कैली की भूमि पर निर्माणाधीन मेजर ध्यानचन्द स्पोटर्स विश्वविद्यालय के दृष्टिगत वर्तमान मेरठ विकास क्षेत्र की निरन्तरता में आने वाले ग्रामों को विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित करते हुए मेरठ विकास क्षेत्र सीमा के विस्तार का प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा परिचालन पद्धति से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

8.	भूखण्ड/भवन संख्या–167बी क्षेत्रफल 1242.84 वर्ग मी0 साकेत, मेरठ का उपयोग आवासीय से नर्सिंग होम (सार्वजनिक सुविधा) उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड को प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त एकमात्र आपत्ति एवं उसके निस्तारण के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन विचारोपरांत मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषय

S.n.	विषय	मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय
1	**नगर निगम कार्यालय परिसर मे निर्मित करायी जा रही मल्टीलेवल पार्किंग के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.06.24 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पुराने शहर मे आबादी अधिक होने तथा वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण शासन के निर्देशानुसार स्मार्ट सिटी के घटक के रूप मे नगर निगम परिसर मे मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 यथासंशोधित के प्राविधानो के अनुसार मल्टीलेवल कार पार्किंग हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी0 तथा पहुंच मार्ग 18 मी0 अनिवार्य है। नगर निगम द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि कुल 6513.13 वर्ग मी0 भूमि पर मल्टीलेवल कार पार्किंग का प्रस्ताव किया गया है, जो कि वांछित से अधिक है। स्थल के सम्मुख मात्र 12.0 मी0 चौडा मार्ग उपलब्ध है, जो कि निर्धारित मानको से कम है। भवन उपविधि के प्रस्तर 3.10.12 में टिप्पणी अंकित है कि उपरोक्त मापदण्डो मे छूट की अपेक्षा वाले विशिष्ट प्रस्तावो को प्राधिकरण बोर्ड मे विचारार्थ प्रस्तुत कर निर्णय लिया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण से शहर की यातायात समस्या को निजात मिलेंगी तथा सडको पर

		खडे वाहनो को सुनियोजित रूप से खडा किया जा सकेगा। चूंकि उक्त पार्किंग का निर्माण जनहित मे अति आवश्यक है, इसलिए पहुंच मार्ग मे शिथिलता प्रदान करते हुए स्थल पर विद्यमान पहुंच मार्ग पर ही मानचित्र स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
2	गंगा नगर कालोनी में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त 25.46 एकड (103083.26 वर्ग मी0) भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1/404747/2023 File No.8-8/2/2023-8 दिनांक 11.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–289/सी.टी.पी./2023 दिनांक 21.03.2023 के क्रम में गंगा नगर कालोनी में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त 25.46 एकड (103083.26 वर्ग मी0) भूमि का भू–उपयोग आवासीय से सार्वजनिक सुविधाऐं (शैक्षिक एवं सामुदायिक सुविधाऐं) भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या–574/व.नि.(4)/मेरठ विविध/2023–24 दिनांक 10.07.2023 एवं पत्र संख्या–881/व.नि.(4)/मेरठ विविध/2023–24 दिनांक 21.08.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत में शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3–98–60एलयूसी/96 दिनांक 13.10.1998 के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण इन्वेस्ट यू.पी. से भी आच्छादित है। इसके शीघ्र निस्तारण हेतु शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होते रहे है। तत्क्रम मे आवेदक द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम मे शासनादेश दिनांक 13.10.1998 में दी गई व्यवस्था के क्रम मे दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 17.12.2023 को 01 माह की समयावधि के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया गया जा चुका है तथा इस सम्बन्ध मे जन–सामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव भी प्राप्त नही हुआ है। प्रश्नगत भूमि के समीप पूर्व से ही कई शिक्षण संस्थान सचांलित है तथा उक्त भूमि के

		आवासीय से सार्वजनिक सुविधाएं (शैक्षिक एवं सामुदायिक सुविधाऐं) भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने से योजना मे नियोजित आवासीय, सार्वजनिक सुविधाओं, जनसंख्या घनत्व तथा अवस्थापना सुविधाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। अतः गंगा नगर कालोनी, पॉकेट–टी में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त 25.46 एकड (103083.26 वर्ग मी0) भूमि का भू–उपयोग आवासीय से सार्वजनिक सुविधाऐं (शैक्षिक एवं सामुदायिक सुविधाऐं) भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(अभिषेक पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(सेल्वा कुमारी जे0)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।